Government of Haryana
Environment, Forest and Wildlife Department
New Secretariat Building Haryana, Sector 17, Chandigarh-160017 (Ft-4 Diversion)

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
हरियाणा पंचकूला।

यादी क्रमांकः 57–व–4–2026/521
चण्डीगढ दिनांक 22-01-2026

विषयः Diversion of 0.2767 ha. of Forest land for laying of Natural Gas Pipeline from Sakatpur to Shahid Bhagat Singh Chowk, under Forest Division & Distt Gurugram, Haryana.
(Online Proposal No. FP/HR/Pipeline/146249/2021)

संदर्भः आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक FCA/986, दिनांक 23–12–2025।

––

उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है जिस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् 0.2767 है0 वन भूमि के उपयोग के लिए, Para 4.2 in Chapter 4 of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rule, 2003 (Guideline & Clarification) 2019 के तहत निम्नलिखित शर्तों सहित स्टेज–II की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

(i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

(ii) प्रस्तावित कार्य के लिए किसी भी पेड़/पौधें कर कटाई शामिल नहीं होगी।

(iii) परियोजना के कार्य पूरा होने के बाद सड़क चौड़ीकरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को पुनः पहले जैसा किया जाना होगा।

(iv) प्रयोक्ता एजैन्सी वन/पर्यावरण को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए सहमत होगी।

(v) उपयोक्ता एजैंसी किसी भी रखरखाव करने के लिए स्थानीय एफ0डी0 से अनुमति प्राप्त करेगा।

(vi) परियोजना में पेड़ों की कटाई के मामले में, हटाने के लिए चिह्नित प्रत्येक पेड़ के लिए स्थानीय वन विभाग के परामर्श से उपयोक्ता एजैन्सी की लागत पर दस पेड़ लगाए जाएंगे।

(vii) प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष/पौधा बाधक नहीं है।

(viii) वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

(ix) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जाएंगे।

P.T.O:-

(x) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन0पी0वी0 की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की राशि को केम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी।

(xi) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

(xii) सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।

(xiii) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा।

(xiv) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाएंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी।

(xv) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।

(xvi) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।

(xvii) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजैन्सी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।

(xviii) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा।

(xix) खाई (trench) की चौड़ाई एक मीटर से अधिक व गहराई दो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसके लिए जे0सी0बी0 का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(xx) प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार के रख–रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी।

(xxi) इस अनुमति अधीन प्रत्यावर्तन अवधि, प्रयोक्ता एजैन्सी के पक्ष में दी जाने वाली लीज अवधि या परियोजना काल, इनमें से जो भी कम हो, के साथ समाप्त हो जाएगी।

(xxii) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय–समय पर लगाई जा सकती है।

(xxiii) इन शर्तों में से किसी भी शर्त की उल्लंघना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की उल्लंघना होगी, जिसके परिणामस्वरूप Guidelines 1.21 of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines-Clarifications)-2019 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

P.T.O:-

(xxiv) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजैन्सी की जिम्मेवारी होगी।

(जीत सिंह)
अधीक्षक (प्रशासकीय शाखा),
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग।

पृ0 क्रमांकः 57–व–4–2026/522
चण्डीगढ दिनांकः– 22-01-2026

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बेज नं0 24–25, सैक्टर–31–ए, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, गुरूग्राम, हरियाणा।
3. **M/s Indraprastha Gas Limited**, IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, Sector – 9, R.K., Puram, New Delhi-110022.

(जीत सिंह)
अधीक्षक (प्रशासकीय शाखा),
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग।